STATEMENT ON THE SECOND SESSION OF THE UNCTAD

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA): Madam, on behalf of Shri Dinesh Singh, I beg to lay on the Table a statement on the second session of the United Nations Conference on Trade and Development held in New Delhi from 1st February to 29th March, 1968. [Placed in Library. *See* No. LT-676/68.]

SHRI ABID ALI (Maharashtra): With regard to this last item my request to you is you kindly give us some opportunity to seek some clarifications because this is a very important item. We would like to go through the Report and thereafter we would like to seek some clarifications.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it is laid on the Table now and you can seek them later. You will have opportunities.

SHRI ABID ALI: I want that some time should be given.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : स्टेटमेन्ट पर बहस होगी, हम भी कुछ कहना चाहेंगे। दिनेश सिंह का जो वक्तव्य है, हमारी माँग है कि उस पर बहस हो।

SHRI BHUPESH GUPTA: (West Bengal): I have given notice. It must be admitted and discussed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Now, Mr. Rajnarain wanted to make a personal explanation.

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI RAJNARAIN

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीय . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan): Madam Deputy Chairman, I want to seek a clarification. I want to know what item is now being taken up.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Personal explanation under rule 241.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: About what? It is not here on the Order Paper.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): It need not be there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am given to understand that Mr. Rajnarain said something on the floor of the House to which you had taken objection. Now he wants to make a personal explanation on that

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Was it anything concerning him or was it . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Without considering whether it requires personal explanation or not, how can this be allowed?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know the context in which he has been permitted.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Then it would be better if you would personally look into it and then decide.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am told that the Chairman has permitted.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: If this item had been admitted by the Chairman, then I feel that whoever is concerned should have been informed of that. If it is on the spur of the moment, I can understand. But otherwise the Member concerned should have been informed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have been told by the Secretariat that the Chairman has permitted it but Mr. Bhandari has raised the point that he should have been informed beforehand.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: I must know what the issue is If I am concerned, I must know what it is. Why should it be taken up without my knowledge?

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Bhandari is present here now and if there is any point which he wishes to raise after that he may be allowed. Under the rules a Member can make a personal explanation.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: This rule is about making a personal explanation though there is no question before the Council. But the question is whether the item to be referred to has anything to do with Mr. Rajnarain. Then only there can be a personal explanation by him.

SHRI BHUPESH GUPTA: That is a wrong inte pretation. Suppose something had happened on the previous day when the hon. Member was not present. He can come and take the permission of the Chair to clarify his position.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: He was present, I was present. And there....

(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhandari, please take your seat. Let Mr. Rajnarain make his statement. And let it be very brief.

श्री राजनारायण : 19-3-68 को मैंने हिन्दू मुस्लिम समस्या पर बोलते समय जनसंघ के 1957 के घोषणा पत्र के संबंध में कुछ कहा था और मैंने उनके 1957 के घोषणा पत्र के एक वाक्य को पढ़ा था : "हिन्दू के अतिरिक्त सभी जनों को भारतीय संस्कृतियुक्त करके उनको राष्ट्रभावापन्न करना"। यह जनसंघ का घोषणा पत्र है। श्री सुन्दर सिंह भंडारी ने कहा: "हिन्दू के अतिरिक्त नहीं लिखा है, यह शब्द नहीं है"। उसी समय मैंने कहा कि अगर नहीं लिखा है तो मेरे पास उनका 1957 का घोषणा पत्र है।

"श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उसको कोट करें।

श्री राजनारायण : मैं उसको ला कर रख दूंगा।"

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : पहले किसको कोट किया था ?

श्री राजनारायण : मुझे याद है, मैं याददास्त से कोट कर सकता हूं। स्मरण शक्ति हमारी इतनी तीव्र है।

मैं कह रहा था कि जब एक पार्टी वहाँ ऐसी है, जो पार्टी भारतवर्ष में हिन्दू के अतिरिक्त अन्य जितने लोग है, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहें जैन हों, उनको राष्ट्रभक्त मानती नहीं (*Interruptions*) देखिये यह जनसंघ का घोषणा पत्र है। भारतीय जनसंघ के घोषणा पत्र का राजनीतिक कार्यक्रम का सात सूत्री कार्यक्रम दे रहा हूं, जिसको मिला लिया जाय जैसा हमने 19 तारीख को कहा था। हुबहू वही वाक्य है : 'हिन्दू के अतिरिक्त सभी जनों को भारतीय संस्कृतियुक्त करके उनको राष्ट्र भावापन्न करना'। यह जनसंघ के घोषणा पत्र का वाक्य है। यह जनसंघ के घोषण पत्र को मैं यहां टेबल पर रखने के लिये तैयार हूं, अपने मित्र भंडारी जी को देने के लिये तैयार हूं और भंडारी जी ने उस दिन कहा था यह नहीं लिखा है। भंडारी जी से मैंने अदब के साथ कहा था कि आपकी पार्टी के दफ्तर में 1957 का घोषणा पत्र है, आप लाकर देख लीजिए। हमको लाइब्रेरी से कहीं मुशकिल से अंग्रेज़ी की कापी मिली। उन्होंने कहा कि हिन्दी की कापी दिखलाऊं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें दिल्ली में यह कापी नहीं मिली तो हम वाराणसी गए।

(*Interruption*) तो मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी बात को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र भाई सुन्दर सिंह भंडारी कह सकते हैं 1957 का जो घोषणा पत्र था अब यह उसको नहीं मानते। अब 'हिन्दू के अतिरिक्त' शब्दों को काट दिया है, यह कह सकते हैं। मगर 1957 के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप में जनसंघ ने कहा कि हिन्दू के अतिरिक्त जितने लोग हैं पहले उनको भारतीय संस्कृतियुक्त करें, तब राष्ट्र भावापन्न करें। ऐसी जो पार्टी मुल्क में चलेगी वह भावात्मक एकता नहीं कर सकती, राष्ट्रीय एकता नहीं कर सकती, वह हिन्दू मुसलमानों का सिर कटवा कर रहेगी। इसलिए मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं श्री सुन्दर सिंह भंडारी से कि अगर उनका ख्याल 1957 में गलत था, उसकी बुनियाद गलत थी, तो संशोधन करना था, दिमाग का परिवर्तन करना था। हमने जो कहा सही कहा और बजा कहा कि उनके घोषणा पत्र को मेनीफेस्टो को पढ़ो।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जब आपने श्री राजनारायण को पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाम पर मेरे को उद्धृत करने का एक मौका दिया है, तो मैं चाहूंगा इस सम्बन्ध में मैं भी अपना स्पष्टीकरण दूं। जिस दिन श्री राजनारायण बोल रहे थे मुझे अच्छी तरह से याद है, सदन के जितने सदस्य यहां उपस्थित थे उनके सामने श्री राजनारायण के हाथ में एक अंग्रेजी की किताब थी, जिसमें से उन्होंने पढ़ा था या हिन्दी में उसका अनुवाद कर रहे थे। वह अंग्रेजी में किताब थी। रिकार्ड में देखने से मुझे एक बात पता चला कि यहाँ पर जो वाक्य लिखा हुआ है वह विदिन इन्वर्टेड कौमाज़ है। अगर यह उसी किताब से कोटेशन होता, तो बाद का यह कथन कि मैं उसको ला कर रख दूंगा, इसका सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने अंग्रेजी की किताब में से अपना अनुवाद करके बताया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस रिपोर्ट में से यह कोटेशन मार्क समाप्त हो जाना चाहिये। दूसरे, उसमें जो शब्द है राष्ट्रीय भावनापन्न करना, वह न होकर 'उसमें उनको राष्ट्र-भावनापन्न करना' है। इस कारण . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should be very brief.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Madam, I will have my say. दूसरी चीज जो उन्होंने इस से इन्टरप्रेन्ट करने की कोशिश की है, तो मैं यह चाहूंगा उसी घोषणा पत्र का पूरा वाक्य, पूरा भाग, उसमें से पढ़ा जाय जहां पर हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के लिये इस बारे में कहा गया है और इस कारण से मैं अब वह 1957 के घोषणा पत्र से कोट करना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

"राष्ट्र की एकता तथा अखंडता की रक्षा के लिये जिसके बिना न तो स्वतंत्रता को ही कायम रखा जा सकता है और न आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक पुनर्निर्माण की महती योजनाओं को ही कार्यान्वित किया जा सकता है, जनसंघ द्विविध कार्यक्रम अपनायेगा।"

उसका पहला अंश यह है :

"1 हिन्दू समाज के अन्तर्गत ऊंचनीच छुआछूत आदि हटाकर एक निष्ठता सम्पादन करना ; और

"2 हिन्दू के अतिरिक्त सभी जनों को" भारतीय संस्कृतियुक्त (हिन्दू संस्कृतियुक्त नहीं) "भारतीय संस्कृतियुक्त करके उनको राष्ट्रभावानपन्न करना।"

"भारतीय ईसाइयों को विदेशी मिशनरियों के अराष्ट्रीय प्रभाव से मुक्त करने के लिए नियोगी समिति तथा रेगे समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय।"

[श्री सुन्दर सिंह भण्डारी]

और इसीलिए समाज के सभी वर्गों के लिए एक फेज्ड प्रोग्राम हो । केवल एक चीज को पेश करके और उसको उद्धृत करके उन्होंने उसका गलत अर्थ निकालने की कोशिश की । 1957 का घोषणा पत्र जो देश के विभिन्न वर्ग और समाज के लिए जनसंघ का व्दिविध एप्रोच है, वह वाजिब एप्रोच है । जनसंघ का वह वाजिब एप्रोच आज भी है ।

(*Shri Rajnarain Spoke*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: After Mr. Bhandari's statement, nothing will go on record. Mr. Gujral.

MOTIONS FOR ELECTION TO (i) COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS AND (ii) COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS, AND PROGRAMME THEREOF

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): Madam, I beg to move the following motion?

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate five members from the Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 1968, and ending on the 30th April, 1969 and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, five members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI I. K. GUJRAL: Madam, I beg to move the following motion:—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven members from the Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 1968 and ending on the 30th April, 1969 and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the following dates have been fixed for receiving nominations and for holding elections, if necessary, to the (i) Committee on Public Accounts and (ii) Committtee on Public Undertakings:-

1. Number of Members to be elected	Seven and five respectively.
2. Last date and time for receiving nominations.	6th May, 1968 (up to 3.00 P.M.)
3. Last date and time for withdrawal of candidature.	7th May, 1968 (up to 3.00 P.M.)
4. Date and time of election .	9th May, 1968 (between 3.00 P.M. and 5.00 P.M.)
5. Place of election . . .	Room No. 63, First Floor, Parliament House, New Delhi.
6. Method of election . .	Proportional representation by means of the single transferable vote.